

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.)**

(फोन- 07574-292250, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

**परिपत्र**

क्रमांक 771 / दो-1-8 / 19  
प्रति,

होशंगाबाद दिनांक 04.04.2021

- (1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
- (2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
- (3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
- (4) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव बावत् दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का परिपत्र क्रमांक ए/1149 जबलपुर दिनांक 03.04.2021

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के मामलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी एस.ओ.पी. दिनांक 15.01.2021 एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों/परिपत्रों की प्रभावशीलता बढ़ायी गयी है।

अतः मैं **आलोक अवस्थी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश होशंगाबाद** माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र के आलोक में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 80/दो-1-8/19 होशंगाबाद दिनांक 16.01.2021 की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए आगामी आदेश तक के लिए निम्न निर्देश जारी करता हूँ जो **तत्काल प्रभाव से** प्रभावशील होंगे :-

- 1- समस्त न्यायालयों में भौतिक सुनवाई के स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 2- संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसी पक्ष को कठिनाई होने पर भौतिक सुनवाई का अवसर प्लास्टिक शीट, मास्क और सैनेटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करने के उपरांत ही दिया जाएगा।
- 3- न्यायाधीशगण व अन्य कर्मचारी कार्यालयीन अनुभाग या अन्य ऐसे स्थान, जहाँ प्लास्टिक शीट के कर्टन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में कार्य करते समय फेस शील्ड का उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
- 4- न्यायालय परिसर में न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण और कर्मचारीगण को पूर्ववत् शारीरिक तापमान के परीक्षण और उचित मास्क लगाये जाने की जांच के उपरांत प्रवेश दिया जाएगा। उक्त जांच के उपरांत अन्य किसी भी पक्षकार या अन्य व्यक्ति को परिसर में तभी प्रवेश दिया जाएगा जब वह न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति बावत् दिये गये निर्देश/समन को दर्शित करेगा। न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति को आहूत किये जाने बावत् साक्ष्य के लिए किसी अधिवक्ता द्वारा अपनी रबर मुद्रा लगाकर हस्ताक्षरित स्लिप को भी मान्य किया जाएगा। न्यायालय या कार्यालय द्वारा भी किसी

व्यक्ति के परिसर में प्रवेश आवश्यक दर्शित करने के लिए उक्त आशय की स्लिप जारी की जा सकेगी।

5- न्यायालय परिसर में बिना मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होशंगाबाद/ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

6- जिन न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण या अधिवक्तागण को कोविड-19 के कोई भी लक्षण प्रतीत होते हैं, उनसे अपेक्षा है कि वे तुरंत चिकित्सीय जाँच करवाने के उपरांत परीक्षण रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहें और इसकी सूचना दूरभाष/व्हाट्सएप पर अपने प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष जिला/तहसील बार एसोसिएशन को कार्यालय को प्रेषित किये जाने के लिए प्रदान करें।

7- समस्त विचाराधीन बंदियों को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

8- किसी भी साक्षी या अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति के हाथ सैनेटाईज कराये जाने के उपरांत न्यायालय की आदेश पत्रिका या बयानशीट आदि दस्तावेजों पर केवल तभी कराये जाएंगे, जब न्यायालय उक्त हस्ताक्षर अनिवार्य समझे।

9- समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण/पक्षकार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

10- 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी अधिवक्तागण, कर्मचारीगण एवं न्यायाधीशगण द्वारा शासकीय अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाया जाना अनिवार्य है। वरिष्ठ अधिवक्तागण से अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने का अनुरोध है।

11- यह कि माननीय उच्च न्यायालय, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं व्ही.सी. गार्डलाईन दिनांक 20.04.2020 की कंडिका 22 का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।

**संलग्न-** माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर  
का परिपत्र क्रमांक ए/1149 जबलपुर  
दिनांक 03.04.2021

  
4-4-2021  
**आलोक अवस्थी**  
**जिला एवं सेशन न्यायाधीश**  
**होशंगाबाद**

आलोक अवस्थी  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
होशंगाबाद (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 772/दो-1-8/19  
**प्रतिलिपि,**

होशंगाबाद दिनांक 04.04.2021

(1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/

सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

- (3) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद (म.प्र.)
- (4) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)
- (5) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)
- (6) जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल खण्ड अ एवं ब होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की ओर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की डियूटी लगायी जाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (8) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई-मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
होशंगाबाद (म.प्र.)

  
A-A-2021  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
होशंगाबाद

# **HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR**

**// ADDITIONAL STANDARD OPERATING PROCEDURE (S.O.P.)  
FOR SUBORDINATE COURTS OF THE STATE OF MADHYA PRADESH //**

---

No. A 1149 /

Dated 03/04/2021

In addition to earlier SOP dated 15.01.2021 for the Subordinate Courts and other relevant directions/circulars issued by the High Court in this regard from time to time, Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, on consideration of the recommendations of the Hon'ble Committee of this High Court and after due deliberations with the Advocate General of the State of M.P., representatives of State Bar Council of M.P., Senior Advocates Council and High Court Bar Associations, Jabalpur, Indore & Gwalior, has been pleased to issue this Additional S.O.P. for the Subordinate Courts:-

1. In continuation of SOP dated 15.01.2021 for the Subordinate Courts, it has been directed that looking to the seriousness of Covid-19 effect, the District & Sessions Judges will have discretion to regulate physical hearing/virtual hearing. Depending upon the situation of a particular district in which the numbers of Covid patients are on higher side, the concerned District Judge may opt for total virtual hearing. However, where the situation is under control, virtual hearing alongside the physical hearing may also be continued.
2. With regard to Point No.(2) of the SOP dated 15.01.2021 relating to Subordinate Courts, it is clarified that the District & Sessions Judges will have discretion to regulate the physical functioning of the Courts including about the nature, category and number of cases and timing of sitting of the Courts depending upon the prevailing circumstances and effect of Covid-19 in the concerned district.
3. No litigant/person will be permitted to enter the court premises unless there are specific directions by the court for his / her appearance.



District Judges of the districts, where the number of Covid patients is on higher side are requested to take necessary steps with regard to compliance of SOP dated 15.01.2021 and other circulars issued by the High Court of M.P. from time to time in this regard.

5. All the District & Sessions Judges of the State are requested to send regular feedback with regard to physical/virtual hearing in their respective Districts.

BY ORDER OF HON'BLE  
THE CHIEF JUSTICE



63.4.21  
(RAJENDRA KUMAR VANI)  
REGISTRAR GENERAL